

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :- एफ.10(7)नविवि/3/2009 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 30 SEP 2011

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

संशोधन

विषय:-संशोधित भवन विनियम, 2010 के अनुसार लोअर ग्राउण्ड फ्लोर एवं प्रथम बेसमेंट में व्यावसायिक/संस्थागत प्रयोजनार्थ अनुज्ञा दिये जाने बाबत्

सन्दर्भ :- विभाग का सम संख्यक पत्र दिनांक 16 सितम्बर 2011

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा संशोधित भवन विनियम, 2010 के अनुसार अनुज्ञा दिये जाने बाबत् जारी किये गये मार्ग-दर्शन के बिन्दु संख्या 2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

2. भवन विनियम, 2010 के विनियम 8.10 (2) (v) के अन्तर्गत भवन की सुविधाओं को एफएआर से मुक्त किया गया है (एफएआर क्षेत्रफल का अधिकतम 7 प्रतिशत तक)। इस सूची में अन्डर ग्राउण्ड वॉटर टैंक/ओवर हैड वॉटर टैंक सम्मिलित नहीं है।

३
(एन.एल.मीना)
शासन उप सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली

30/9/2011
शासन उप सचिव-तृतीय

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग
जयपुर